;kSu vijk/kksa dk f'kdkj

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध काफी बढ़ गया है, महिलाएं और बच्चे परिवार, घर के निकट सम्बन्धियों और सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से यौन अपराध के शिकार हो रहे है। वर्षो तक यौन अपराध से निपटने के कानून का काफी अभाव था। वर्ष 2012 से पहले बाल यौन अपराध से निपटने का कोई अलग कानून नहीं था। वर्ष 2013 के पहले यौन अपराध से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में केवल दो ही उपबन्ध थे। अनुच्छेद 376 में सीमित प्रकार के बलात्कार के ही दंड का प्रावधान था और धारा 354 में महिलाओं की मर्यादा भंग करने के दंड का प्रावधान था जो छेड़–छाड़ की आम घटनाओं पर ही लागू होता है। कानून में विभिन्न प्रकार के यौन अपराध, जिसमें अलग–अलग प्रकार की हानि, क्षति और मर्यादा भंग करना शामिल है का कानून में कोई स्थान नही था। जिसका अर्थ है कि इस प्रकार के यौन अपराध के शिकार अपराध की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते है।

अन्ततोगत्वा 2012 और 2013 में कानून में बदलाव आया। यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 (पोक्सो ऐक्ट) में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अब भारतीय दंड संहिता में बलात्कार और विभिन्न प्रकार के यौन अपराध की परिभाषा में विस्तार किया गया है। जिसमें यौन प्रताड़ना, जबरन मर्यादा भंग, वोयुरिज्म और पीछा करना शामिल है। कृपया यह ध्यान दें कि भारतीय दंड संहिता में यौन अपराध लिंग विशेष होता है। यह उपबन्ध (धारा 377 को छोड़कर) सिर्फ पीड़ित महिला पर ही लागू होता है जबकि अपराधकर्ता पुरुष होता है। पोक्सो अधिनियम लड़के और लड़कियों दोनों को यौन अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है।

अब पुलिस के नये कर्तव्य हो गये है और यौन अपराध से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यवाही में उन्हें विशेष प्रक्रिया अपनानी होती है। यह पुस्तिका आपको नये प्रकार से यौन अपराध की घटनाओं तथा कर्तव्य और प्रक्रिया जो पुलिस को अपनानी चाहिए के बारे में बताता है।

1- efgykvksa dk f[kykQ ;kSu vijk/k

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 में बलात्कार के सम्बन्ध में भा0द0स0 में अनेक बदलाव लाया है और अन्य यौन अपराध को भी इसमें शामिल किया है।

cykRdkj ds ckjs esa ;g dkuu D;k dgrk gS \

पहले बलात्कार की परिभाषा में लिंग का योनि में प्रवेश ही शामिल था। अब किसी पुरूष के लिए बलात्कार जब महिला की इच्छा के विरूद्ध या किसी महिला की वैध सहमति के बिना किया गया हो, की परिभाषा इस प्रकार है:

- अपना लिंग महिला की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता हो।
- कोई भी वस्तु या शरीर का अंग महिला की योनि, मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश कराता हो।
- अथवा मुंह महिला की योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर लगाता हो।
- महिला के किसी भी अंग का इस प्रकार से इस्तेमाल करता हो जिससे वह अंग उसकी योनि, मूत्र मार्ग या गुदा में प्रवेश करता हो।
- महिला को अपने साथ या किसी अन्य पुरूष के साथ उपरोक्त काम करने के लिए मजबूर करता हो।

cykRdkj ds fy, 7 o"kZ ls vkthou dkjkokl rd vkSj tqekZus dk izko/kku gSA (भा0द0स0 की धारा 375 और 376)

अधिक गंभीर अपराध के मामले में दंड और भी कड़े है। जब कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक[1] अपनी हिरासत में किसी महिला का बलात्कार करता है तो 10 वर्ष और आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है तथा सामूहिक बलात्कार अर्थात जहां महिला का बलात्कार एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो इस पर 20 वर्ष या आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान है। अंत में कोई व्यक्ति जिसके द्वारा बलात्कार के कारण महिला की मौत हो जाती है अथवा वह निष्क्रीय अवस्था में आ जाती है, तब इस पर 20 वर्ष की कैद से आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है। (भ0द0स0 376क, 376 घ)

यदि कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी के ओहदे पर है जैसे कि वह लोक सेवक या जेल, महिला/बाल संस्थान या अस्पताल का प्रबंधक है अपने अधीन या कार्यालय के परिसर में किसी महिला को अपने साथ यौन के लिए प्रेरित करता है तब ऐसी स्थिति में उसे 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। (भा0 द0 स0 376 ग)

oSokfgd thou esa ;kSu nq0;ogkj

भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ की गयी यौन क्रिया या यौन यदि पत्नी 15 वर्ष से कम उम्र की नहीं है, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। यदि आप अपनी पति से अलग रह रही है, (चाहे आप कानूनी तौर पर अलग रह रही है अथवा नहीं) और वह आपके साथ यौन क्रिया करता है तो उसे आपकी सहमति के बगैर आपके साथ यौन क्रिया करने के लिए दंडित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में दो साल से 7 साल तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। (भा0द0स0 धारा 376 ख)

1 पूरी सूची के लिए धारा 376(2) देखें

यदि आपका पति आपके साथ यौन दुर्व्यवहार करता है तो आप घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत और 15–18 साल के बच्चों के मामले में पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दायर कर सकते है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत यौन दुर्व्यवहार में यौन प्रवृत्ति का कोई भी कृत्य जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता हो उन्हें अपमानित करता है, उन्हें बेइज्जत करता हो या उनकी गरिमा का अन्यथा उल्लंघन करता हो शामिल है

(घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 3)

vU; ;kSu vijk/k D;k gS

नीचे दिये टेबल में 2013 में भा0द0स0 के अंतर्गत लाये गये अन्य अपराधों और दण्ड की सूची दी गयी है।

vijk/k	Hkk0n0l0 dh /kkjk	n.M
fdlh iq:"k }kjk ;kSu vijk/k 1. अवांछनीय शारीरिक संबंध/आगे बढ़ना। 2. यौन संबंधों की मांग करना। 3. पोर्न फिल्म दिखाना या 4. यौन सम्बन्धी टिप्पणी	354 क	1, 2 और 3 सम्बन्धी अपराध के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों 4 सम्बन्धी अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों
जबरन मर्यादा भंग करना–पुरूष महिला पर उसके वस्त्र उतारने के इरादे से उस पर हमला करता है।	354 ख	3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
वोयुरिज्म जब कोई पुरूष किसी महिला का प्राइवेट तौर पर फोटो देखता हो या उसके चित्र का प्रचार करता हो।	354 ग	¼igyh nks"k fl f)½ 1 से 5 वर्ष तक कारावास या जुर्माना ¼ckn dh nks"k fl f)½ 3 से 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना
efgyk dk ihNk djuk&dkbZ iq:"k 1. किसी महिला का पीछा करता है और उसकी अपनी रूचि न दिखाने के बावजूद उससे संपर्क करने का प्रयास करता है या 2. किसी महिला द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले इंटरनेट, इमेल या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम की निगरानी करता है।	354 घ	igyh nks"k fl f)½ 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना ckn dh nks"k fl f)½ 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
मानव दुर्व्यापार एक ऐसा अपराध है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पहले धमकी देकर, दूसरे बल/प्रताड़ना का प्रयोग कर, तीसरे अगवा करके, चौथे धोखाधड़ी का इस्तेमाल कर, पांचवे शक्ति का दुरुपयोग कर, छठें प्रलोभन देकर, शोषण के प्रयोजन से मानव दुर्व्यापार का अपराध करता है। इस अपराध में नाबालिग का दुर्व्यापार भी शामिल है तथा इसमें लोक सेवक या पुलिस अधिकारी मानव दुर्व्यापार के अपराधकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। इसमें शोषण में यौन शोषण भी शामिल है।	370	Ekkuo nq0;kikj½ 7 से 10 से वर्ष तक के कारावास और जुर्माना एक से अधिक मानव दुर्व्यापारः कम से कम 10 वर्श अवधि का कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना। Ukckfyxksa dk nq0;kikj½ कम से कम 10 वर्ष तक की अवधि का कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना ,d ls vf/kd ukckfyxksa dk nq0;kikj½ कम से कम 14 वर्श तक का कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना ,d ls vf/kd ckj ukckfyx ds nq0;kikj esa nks"k fl f} O;fDr½ आजीवन कारावास और जुर्माना Ukkckfyx ds nq0;kikj esa 'kkfey yksd lsod ;k iqfyl vf/kdkjh: आजीवन कारावास और जुर्माना

vki fdl izdkj iqfyl Fkkus esa viuk ekeyk ntZ djk ldrs gS \

आप प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कर किसी अपराध की सूचना दे सकते है। पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति के एफ.आई.आर. को अवश्य दर्ज करेगी जिसे किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की जानकारी है। दंड प्रक्रिया संहिता में वह प्रक्रिया निर्धारित है जिसका अनुकरण पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने में करती है। (दंड प्रक्रिया संहिता धारा 154)

यदि पुलिस बलात्कार या किसी अन्य प्रकार के यौन अपराधों के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करती है तो उसे 6 माह से लेकर दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। (भा0द0स0 धारा 166 क (ग))

जहां तक संभव हो यौन अपराध से पीड़ित को स्वयं एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाहिए। कानून यह अपेक्षा करता है कि यदि आप स्वयं पुलिस थाना जाती है तो कोई महिला पुलिस अधिकारी या फिर यदि कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो महिला सरकारी अधिकारी ही आपकी एफ.आई.आर. दर्ज करेगी। यदि आप मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है (अस्थायी विकलांग भी है) तो एफ.आई.आर. आपके घर पर या आपके

पसंद के जगह पर दर्ज की जायेगी और भाषान्तरकार/विशेष शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी और इसका वीडियो भी बनाया जाना चाहिए। पुलिस से यह भी अपेक्षा की जाती है कि जितनी जल्दी संभव है वह आपके बयान को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भी रिकार्ड करवाये। (द0प्र0स0 धारा 154 (क)–(ग))

पुलिस आपको अपने घर के अलावा किसी और स्थान पर पूछ ताछ के लिए आने को मजबूर नहीं कर सकती। (द0प्र0स0 धारा 160)

cykRdkj ihfMrk dh fpfdRlh; tkp

पुलिस को बलात्कार की शिकायत करने वाली महिला को उसकी शिकायत मिलने से 24 धंटे के अंदर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के पास जांच के लिए भेजनी चाहिए। (द0प0स0 धारा 164 क)

कानून में यह प्रावधान है कि सभी अस्पताल सरकारी या गैर–सरकारी बलात्कार की पीड़िता को तत्काल नि:शुल्क फर्स्ट एड या मेडिकल उपचार प्रदान करेगा। (द0प0स0 धारा 357 ग)

2- cPpksa dks f[kykQ ;kSu vijk/k

बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए वर्ष 2012 पी.ओ.सी.एस.ओ. ऐक्ट लागू किया गया।

यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिकाओं दोनो पर लागू होता है। पोक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत पुरूष और महिला दोनों अपराधी हो सकते है। नीचे दिये गये टेबल से अपराध इस प्रकार है:

vijk/k	ikDlks ,DV	n.M
vUrZos/kh ;kSu izgkj% यदि कोई पुरूष किसी बच्ची की योनि, मुख या मूत्र मार्ग या गुदा में अपना शिश्न घुसेड़ता या उन पर अपना मुख लगाता है या किसी बालक, बालिका को उपरोक्त कोई भी कृत्य किसी अन्य व्यक्ति के साथ करने को मजबूर करता है।	3	7 वर्ष से आजीवन कारावास तक का दण्ड और जुर्माना
;kSu izgkj% कोई भी व्यक्ति यौन के इरादे से किसी बालिका/बालक की योनि, शिश्न, मूत्र मार्ग या गुदा या स्तन को स्पर्श करता है या बालक/बालिका को किसी अन्य व्यक्ति के इन्हीं अंगों को स्पर्श करने को मजबूर करता है।	7	3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
fdlh ckyd@ckfydk dk ;kSu mRihMu: कोई भी पुरूष यौन इरादें से किसी शब्द, आवाज का प्रयोग करता है, किसी तरह की भंगिमा प्रदर्शित करता है या कोई वस्तु शरीर का भाग प्रदर्शित करता है। बालक बालिका को अपना अंग प्रदर्शित करने को मजबूर करता है या बार–बार उसका पीछा करता है, उस पर नजर रखता है या उससे संपर्क स्थापित करता है।	11	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
पोर्नोग्राफी के प्रयोजन से बच्चों का इस्तेमाल	13	5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना बाद की दोष सिद्विः 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

अधिक गंभीर परिस्थितियों में अंर्तवेधी यौन प्रहार और अन्यथा यौन प्रहार के सम्बन्ध में काफी कठिन दण्ड का प्रावधान है। उदाहरण के लिए किसी पुलिस अधिकारी, लोक सेवक या अस्पताल के कर्मचारी द्वारा अर्न्तवेधी यौन प्रहार के अपराध में 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक के दण्ड और जुर्माने का प्रावधान। (पोक्सो ऐक्ट धारा 5 और 9)

vki fdlh vijk/k dh lwpuk iqfyl dks fdl izdkj ns ldrs g \

किसी बालक/बालिका के खिलाफ किये गये यौन अपराध के मामले में आप स्थानीय पुलिस या विशेष बाल अपराध पुलिस यूनिट (एस.आई.पी.यू.) को सूचना दे। पुलिस शिकायत को लिखित दर्ज करेगी और शिकायतकर्ता को इसे पढ़कर सुनायेगी और वह इसे एस.आई.पी.यू. द्वारा रखी पुस्तिका में दर्ज करेगी। स्थानीय पुलिस और एस.आई.पी.यू. 24 घंटों के अंदर बाल कल्याण समिति या विशेष अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यदि कोई पीड़ित बालक/बालिका शिकायत करती है तो शिकायत को ऐसे साधारण भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए जिसकी विषय वस्तु वह आसानी से समझ सकें। यदि आवश्यक हो तो उसे एक अनुवादक या भाषान्तरकार की सेवा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। (पोक्सो ऐक्ट धारा 19)

यदि एस.आई.पी.यू. या स्थानीय पुलिस इस बात से संतुष्ट है कि बालक या बालिका जिसके खिलाफ अपराध किया गया है को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है जिसमें उसे किसी आश्रय गृह या नजदीकी अस्पताल में भेजा जाना शामिल है वह इसके कारण को लिखित में रिकार्ड कर 24 घंटे के अंदर बालक/बालिका के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा। (पोक्सो ऐक्ट धारा 19(5))

fo'k"k cky vijk/k iqfyl ;qfuV

बाल अपराध न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000 के अंतर्गत विशेष बाल अपराध पुलिस यूनिट की स्थापना की जाती है। धारा 63 अपेक्षा करता है कि प्रत्येक जिला और शहर में एक विशेष बाल अपराध पुलिस यूनिट की स्थापना की जायेगी जो बच्चों के साथ पुलिस के व्यवहार को समलित करता है और बेहतर बनाता है। यह धारा प्रत्येक पुलिस थाने को एक बाल अपराध अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी के रूप में कम से कम एक पुलिस अधिकारी को पदनामित करने का अधिकार देता है, जिसे बच्चों की देखभाल के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है।

cPpksa dk c;ku ntZ djus dh fo'k"k izfØ;k

पुलिस किसी बच्चे का बयान उसके घर पर ही दर्ज करती है। किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से पुलिस थाने में रोककर नहीं रखा जा सकता है। (पोक्सो ऐक्ट धारा 24)

एक महिला पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक से नीचे रैंक पर न हो, बच्चे का बयान रिकार्ड करेगी। बयान दर्ज करते वक्त वह अपनी वर्दी में नहीं रहेगी और वह बयान बच्चे के माता पिता की उपस्थिति में अथवा किसी ऐसे बच्चे की उपस्थिति में जिस पर उस बच्चे का विश्वास हो, बयान दर्ज करेगी। जहां कहीं भी संभव हो पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगी कि बयान का आडियो/वीडियो रिकार्ड भी बनाया जाए। (पोक्सो ऐक्ट धारा 24, 26)

जांच करने वाला पुलिस अधिकारी बच्चे की जांच करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय बच्चा अभियुक्त के संपर्क में न आए। पुलिस अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि बच्चे की पहचान मीडिया तक न पहुंचे। (पोक्सो ऐक्ट धारा 24)

lh-,p-vkj-vkbZ- ds ckjs esa

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एक अंतराष्ट्रीय स्वतंत्र गैर–लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकारों को व्यावहारिक रूप से हासिल करने को बढ़ावा देना है।

dkeuoYFk g;weu jkbV~l bfuf'k,fVo
तीसरी मंजिल, सिद्धार्थ चैम्बर,
55 ए, कालू सराय
नई दिल्ली–110016, भारत
फोन: +91-11-43180200
फैक्स: +91-11-26864688
ईमेल: info@humanrightsinitiative.org
वेबसाइट: http://www.humanrightsinitiative.org

यह पम्पफलेट ओक फाउंडेशन की सहयोग से प्रिंट किया जा रहा है।

यौन अपराधों के शिकार

पुलिस और आप

अपने अधिकारो को जानें

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative